Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Appeal No.- 1009 /2024-25

Bibi Sanzari ....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.08.26		

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–21/2023–24 में दिनांक–09.11.2023 एवं वाद सं0–63/2023–24 में दिनांक–29.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूमि का विवरण:–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
हरिणतोड़	319	247	137 138	92 डी0 में से 31.5 डी0

अपीलकर्त्ता का कथन है कि :–

- खाता सं0–247, खेसरा सं0–137, 138 की 92 डी0 भूमि मो0 मत्लिव से संबंधित था, जिसके द्वारा निबंधित केवाला सं0–4815 दिनांक–29.03.1959 के माध्यम से उक्त जमीन का विक्रय मो0 काशिम एवं मो0 अब्बास को किया गया, जिसके पश्चात उक्त जमीन पर मो0 काशिम व मो0 अब्बास दखलकार हुए, जिसमें से पश्चिम दिशा से 46 डी0 जमीन मो0 अब्बास एवं पूर्व दिशा से 46 डी0 जमीन मो0 काशिम के हिस्से में आया।

  मो0 अब्बास के कुल 5 पुत्र एवं 1 पुत्री में से 3 पुत्र व 1 पुत्री द्वारा उनके हिस्से की जमीन मो0 अब्बास के बचे दोनों पुत्र गुलाम मुस्तफा व ईकबाल अहमद (इस वाद में विपक्षी) को केवाला सं0–4449, दिनांक–18.06.1985 के माध्यम से बेच दिया गया।

  मो0 काशिम के कुल 3 पुत्र एवं 2 पुत्री में से 1 पुत्री जहाना बेगम द्वारा उनके हिस्से की जमीन केवाला सं0–1915 दिनांक–03.03.2008 के माध्यम से अपने 2 भाईयों मो0 मंसुर आलम व मो0 शकीर आलम को बेच दिया गया।
- वादी द्वारा 03 अलग–अलग केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय मो0 काशिम के वारिशानों से किया गया, जिसके उपरांत उनके (वादी) द्वारा दखल में रहते हुए उक्त जमीन का नामांतरण करवाया गया।
- विपक्षी द्वारा वर्ष 2023 से उनके (वादी) जमीन पर अवैध रूप से दावा किया गया, जिसके कारण उनके (वादी) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद

सं0–21/2023–24 दायर किया गया, जिसे तकनीकि त्रुटि के कारण उक्त वाद को खारिज कर दिया गया।

- पुनः उनके (वादी) द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–63/2023–24 दायर किया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा पुनः बिना योग्यता (Merit) के आधार पर खारिज कर दिया गया।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–63/2023–24 एवं 21/2023–24 में क्रमशः पारित आदेश दिनांक–29.06.2024 एवं 09.11.2023 की सत्यापित प्रति।
- वादी द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय करने से संबंधित 03 केवाला क्रमशः 1. विलेख सं0–3014 दिनांक–20.03.2013 (रकवा 16 डी0 05 कड़ी); 2. विलेख सं0–5675, दिनांक–24.05.2013 (रकवा 06 डी0); 3. विलेख सं0–8866, दिनांक–05.10.2013(रकवा 08 डी0 06 कड़ी) की छायाप्रति।
- केवाला सं0–4815 दिनांक–28.03.1959 (रकवा 92 डी0), केवाला सं0–4449 दिनांक–18.06.1985 (रकवा 23 डी0) एवं केवाला सं0–1915 दिनांक–03.03.2008 (रकवा 08 डी0) की छायाप्रति।
- मो0 अब्बास व मो0 काशिम से संबंधित लगान रसीद की छायाप्रति।
- वादी से संबंधित लगान रसीद की छायाप्रति।

विपक्षी का कथन है कि :–

- वादी द्वारा निम्न न्यायालय में लाया गया वाद सं0–63/2023–24 पोषणीय नहीं था, क्योंकि वादी द्वारा पूर्व में ही प्रश्नगत वाद भूमि एवं पक्षकार से संबंधित वाद सं0–21/2023–24 दायर किया गया था, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।
- वादी को प्रश्नगत जमीन के विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उनके हिस्से की जमीन से अधिक जमीन का विक्रय वादी को किया गया। वादी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर किया गया दावा विधिमान्य नहीं है। साथ ही, वादी द्वारा अवैध तरीके से उक्त जमीन का क्रय किया गया।
- वादी द्वारा खेसरा सं0–138 की सिर्फ 2½ डी0 जमीन पर दावा किया जा रहा है, जबकि वादी के विभिन्न केवाला में खेसरा सं0–137, 138 की संयुक्त रूप से 31 डी0 जमीन का वर्णन किया गया है।
- अंचल अधिकारी, बायसी के ज्ञापांक–1193, दिनांक–30.08.2023 से प्रतिवेदित किया गया कि उभय पक्ष बायसी थाना में भूमि विवाद बैठक में शामिल होकर जमीन मापी हेतु तैयार हुए, जिसके बाद अमीन द्वारा उभय पक्ष के 46–46 डी0 जमीन को सीमांकित किया गया।
- चूँकि उक्त खाता–खेसरा की 92 डी0 जमीन का क्रय उभय पक्ष के पिता/पूर्वज द्वारा किया गया था, इस प्रकार यह मामला पूर्णतः स्वत्व निर्धारण से संबंधित है।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

- केवाला सं0–4815 दिनांक–28.03.1959 की छायाप्रति।
- भू–लगान रसीद की छायाप्रति।
- अंचल अधिकारी, बायसी के प्रतिवेदन की छायाप्रति।
- अंचल अधिकारी, बायसी एवं थानाध्यक्ष, बायसी का आदेश दिनांक–12.01.2019 की छायाप्रति।
- अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन की छायाप्रति।
- पुलिस रिपोर्ट दिनांक–05.03.2020 की छायाप्रति।

निम्न न्यायालय का आदेश :–

प्रश्नगत मामले (भूमि / पक्षकार) से संबंधित वाद पूर्व में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–21 / 2023–24 के रूप में चला है, जिसमें अंतिम आदेश पारित है। वादी द्वारा पुनः उसी भूमि पर वाद दायर किये जाने के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा वाद को BLDR Act. के धारा 4(2) का उल्लंघन पाते हुए खारिज किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि :–

1. खाता सं0–247, खेसरा सं0–137, 138 की 92 डी0 भूमि मो0 मत्लिव से संबंधित था, जिसके द्वारा निबंधित केवाला सं0–4815 दिनांक–29.03.1959 के माध्यम से उक्त जमीन का विक्रय मो0 काशिम एवं मो0 अब्बास को किया गया, जिसके पश्चात उक्त जमीन पर मो0 काशिम व मो0 अब्बास दखलकार हुए, जिसमें से पश्चिम दिशा से 46 डी0 जमीन मो0 अब्बास एवं पूर्व दिशा से 46 डी0 जमीन मो0 काशिम के हिस्से में आया।
2. मो0 अब्बास के कुल 5 पुत्र एवं 1 पुत्री में से 3 पुत्र व 1 पुत्री द्वारा उनके हिस्से की जमीन मो0 अब्बास के बचे दोनों पुत्र गुलाम मुस्तफा व ईकबाल अहमद (इस वाद में विपक्षी) को केवाला सं0–4449, दिनांक–18.06.1985 के माध्यम से बेच दिया गया।
3. मो0 काशिम के कुल 3 पुत्र एवं 2 पुत्री में से 1 पुत्री जहाना बेगम द्वारा उनके हिस्से की जमीन केवाला सं0–1915 दिनांक–03.03.2008 के माध्यम से अपने 2 भाईयों मो0 मंसुर आलम व मो0 शकीर आलम को बेच दिया गया।
4. अंचल अधिकारी, बायसी के ज्ञापांक–3444 दिनांक–04.10.2023 से प्रतिवेदित किया गया कि उभय पक्ष बायसी थाना में भूमि विवाद बैठक में शामिल होकर जमीन मापी हेतु तैयार हुए, जिसके बाद अमीन द्वारा उभय पक्ष के 46–46 डी0 जमीन को सीमांकित किया गया।
5. अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा मापी स्थल पर कागजात देखने के उपरांत बताया गया कि वादी एवं प्रतिवादी का मूल केवाला संख्या–4815 दिनांक–28.03.1959, मौजा–हरिणतोड़, थाना नं0–319, खाता–247, खेसरा–137, 138, रकवा–92 डी0 एक ही है।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दायर वाद में स्वत्व न्याय निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।